–:: निविदा की शर्ते ::–

01. प्रत्येक निविदा सील बंद लिफाफे में होनी चाहिये। निविदा लिफाफे पर निविदाकार को अपना GST नंबर अंकित करना अनिवार्य होगा।

02. निविदाकार को जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन एवं पैन कार्ड की स्व सत्यापित छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

03. निविदा के साथ सामग्रियों के अनुमानित क्रय मूल्य के **03** प्रतिशत सुरक्षा निधि की राशि छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम 2002 के अनुसार जमा किया जायेगा। यह सुरक्षा निधि सफल निविदाकार की रोक कर शेष अन्य की, निविदा खोले जाने की तिथि के 15 दिवस पश्चात वापस लौटा दी जावेगी। सुरक्षा निधि की राशि नगद स्वीकार नहीं होगी। यह राशि चालान के माध्यम से अथवा डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा की जा सकेगी।

04. सफल निविदाकार को जेल पूर्ति नियम व जेल नियमावली के अनुसार उन्हे स्वीकृत सामग्री के 10 प्रतिशत राशि की सुरक्षा निधि जमा करना अनिवार्य होगा।

05. **प्रदायगी आदेश जारी किये जाने के पूर्व प्रदायकर्ता फर्म से रू. 100/– के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पर करारनामा किया जाना अनिवार्य होगा।**

06. निविदाएं उपस्थित निविदाकार एवं क्रय समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों के समक्ष दिनांक 29.03.2022 को अपरान्ह 04.00 बजे खोला जावेगा। अपरिहार्य कारणों से निविदा खोलने के समय में परिवर्तन किया जा सकता है।

07. निविदा में सब्जियों के दर समस्त कर सहित होंगे, पृथक से कोई अतिरिक्त कर देय नहीं होगा।

08. सब्जियों के दरों में बाजार दरों के अनुरूप समतुल्यता होनी चाहिए, अन्यथा संबंधित फर्म की निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

09. छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय डी.के.एस. भवन रायपुर के पत्र क्र0 136 ए./वित्त/ब–4/चार 2012 दिनांक 05.05.2012 के अनुसार देयकों के भुगतान पर निर्धारित टैक्स की कटौती कर शेष राशि का भुगतान किया जावेगा, अथवा नवीन शासनादेश के अनुसार कर की कटौती किया जावेगा।

10. निविदाकार को सब्जी का प्रदाय जेल गेट पर स्वयं के खर्चे से करना होगा। सब्जी का परीक्षण/मापन जेल गेट पर किया जावेगा। सब्जियां साफ एवं ताजी नही पाये जाने पर अस्वीकृत सब्जियां निविदाकार को तुरन्त वापस ले जाना होगा।

11. निविदाकार की कोई शर्त स्वीकार नही किया जावेगा।

12. निविदाकार को सब्जियों का मूल्य अंको एवं शब्दों में सुलेख/सुस्पष्ट रूप से लिखना अनिवार्य होगा। कांट–छांट एवं उपरीलेखन किये गये निविदा को विचारण क्षेत्र में नही रखा जावेगा।

13. निविदा विहित फार्म की प्रति एवं निविदा से संबंधित जानकारी रू. 2,000/– (रू. दो हजार मात्र) का भुगतान करने पर कार्यालय, जेल अधीक्षक केन्द्रीय जेल दुर्ग से कार्यालय समय सुबह 10.00 बजे से अपरान्ह 01.00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 26.03.2022 तक प्राप्त किये जा सकते है। निविदाकार निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारी जेल विभाग की वेबसाइट jail.cg.gov.in से डाउनलोड करके निविदा में भाग ले सकेगा। ऐसे निविदाकार को निविदा शुल्क आवेदन के साथ (आयकर प्रमाण पत्र सहित) रू. 2,000/– (रू. दो हजार मात्र) निविदा जमा करने के पूर्व नगद भुगतान करना होगा।

14. क्रय की जाने वाली सब्जी की मात्रा में आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि क्रय अधिकारी द्वारा किया जा सकता है।

15. निविदाकार के विरूद्ध किसी भी थाने, न्यायालय में आपराधिक प्रकरण लंबित/सिद्धदोष नहीं होना चाहिए, इस आशय का पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। अन्यथा आवेदन निरस्त कर दी जावेगी।

16. निविदा दो सीलबंद लिफाफा **"अ" एवं "ब"** में जमा करना होगा। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से लिफाफा **"अ"** एवं लिफाफा **"ब"** लिखा जावे।

लिफाफा **"अ"** को पहले खोला जायेगा, तथा पर्याप्त सुरक्षा निधि अथवा उससे छूट संबंधी प्रमाण–पत्र होने पर ही दूसरे लिफाफे अर्थात निविदा दर वाले लिफाफा **"ब"** को खोला जायेगा। **"अ"** लिफाफे में निम्नलिखित दस्तावेज जमा करना अनिवार्य है –

01. सुरक्षा निधि अथवा उससे छूट संबंधी प्रमाण–पत्र।
02. जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की स्व सत्यापित छायाप्रति।
03. पैन कार्ड की स्व सत्यापित छायाप्रति।
03. निविदाकार का व्यापारिक संस्थान कहां पर स्थित है, संबंधी प्रमाण पत्र।
04. थाना/न्यायालय में आपराधिक प्रकरण लंबित नहीं होने/न्यायालय से सिद्धदोष नहीं होने संबंधी पत्र।

"ब" लिफाफे में निर्धारित प्रपत्र में निविदा का दर भर कर जमा करना होगा।

17. सब्जियों के मांग–पत्र, दैनिक, आवश्यकताओं के अनुसार दिया जायेगा। सब्जी क्रय करने हेतु जेल नियम लागू होंगे।

18. निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार जेल अधीक्षक के पास सुरक्षित रहेगा एवं इस संबंध में पत्राचार नहीं किया जावेगा। समस्त निविदाओं के लिए जेल अधीक्षक (अध्यक्ष) का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

19. निविदा का अनुमोदन महानिदेशक जेल द्वारा किया जावेगा। महानिदेशक जेल का विशेषाधिकार होगा कि वे किसी भी निविदा को अमान्य करेगें। यथा निविदा की संपूर्ण कार्यवाही उनके द्वारा निरस्त की जा सकती है।

जेल अधीक्षक
केन्द्रीय जेल दुर्ग (छ.ग.)